अध्याय-V

एकल कंडिकाएं

अध्याय – V

एकल कंडिकाएँ

पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग

5.1 निष्फल व्यय

पहुँच मार्ग के लिए भूमि सुनिश्चित किए बिना उच्च स्तरीय पुल के निर्माण से ₹11.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

कैबिनेट सचिवालय और समन्वय विभाग (गोपनीय प्रकोष्ठ), बिहार सरकार के संकल्प संख्या 948 (जुलाई 1986) के अनुच्छेद 7.5 में कहा गया है कि तकनीकी स्वीकृति के अनुमोदन और निधि के आवंटन सुनिश्चित होने के बाद ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। जिन मामलों में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, उन्हें अग्रिम रूप से पूरा किया जाना चाहिए।

(क) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2019) में उद्घाटित हुआ कि–

- मुख्य अभियंता (सी.ई.), दक्षिण बिहार विंग, पटना ने उच्च स्तरीय (एच.एल.) पुल के निर्माण सहित बड़ीमठ (परवलपुर) से देवरिया पथ के निर्माण/सुधार–सह–रखरखाव के लिए ₹48.78 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2015)। पथ निर्माण विभाग ने ₹48.78 करोड़ के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (अगस्त 2015) और मुख्य अभियंता, केंद्रीय डिजाइन संगठन, पटना द्वारा ₹53.35 करोड़[52] के लिए कार्य की तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) प्रदान की गई (मार्च 2016)।
- अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, आर.सी.डी., पटना ने ₹37.87 करोड़ के लिए पथ कार्य का परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) तथा 55.80 मीटर लंबाई एवं पूर्वोक्त पथ के तीसरे किमी में 90 मीटर और 120 मीटर में दोनों तरफ पहुँच पथ वाले उच्च स्तरीय पुल (एच.एल.) के निर्माण के लिए ₹4.85 करोड़ के परिमाण विपत्र (अप्रैल 2016) अनुमोदित किया (जुलाई 2015)।
- कार्यपालक अभियंता (ई.ई.), पथ प्रमण्डल, हिलसा ने एक संवेदक (मैसर्स दयान एंड प्रसाद सिन्हा एंड कंपनी, पटना) के साथ ₹34.30 करोड़[53] मूल्य के पथ कार्य के लिए अनुबंध (नवंबर 2015) और एच.एल. पुल के लिए उसी संवेदक के साथ ₹4.36 करोड़[54] का पूरक अनुबंध (जुलाई 2016) किया था ।
- संवेदक द्वारा ₹32.02 करोड़ में पथ कार्य पूर्ण किया गया (जून 2017) तथा एच.एल. पुल का कार्य ₹3.74 करोड़ की लागत से दिसम्बर 2017 में पूर्ण किया गया। हालांकि, पहुँच पथ के अभाव के कारण चार साल बीत जाने के बाद भी पुल का उपयोग सितंबर 2021 तक नहीं किया जा रहा था क्योंकि इसके लिए आवश्यक भूमि निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं थी।

---

[52] *पथ कार्य ₹33.28 करोड़, पुल एवं पुलिया ₹12.85 करोड़, मूल्य वृद्धि ₹3.92 करोड़ एवं अन्य (भूमि अर्जन सहित ₹0.11 करोड़) ₹3.30 करोड़*

[53] *परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत नीचे ₹37.87 करोड़ अर्थात (₹38.09 करोड़– ₹0.22 करोड़ आपातकालीन कार्य हेतु प्रावधानित)*

[54] *परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत नीचे अर्थात ₹4.85 करोड़*

नए पुल के दोनों किनारों की भौतिक स्थिति (अप्रैल 2022)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कार्यपालक अभियंता, हिलसा ने बताया (दिसम्बर 2019) कि भूमि की उपलब्धता की प्रत्याशा में पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था लेकिन पुल की संरचना पूरी होने तक इसे उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उन्होंने यह भी कहा कि स्थायी पट्टे के साथ पहल करने के प्रयास किए गए लेकिन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका।

उन्होंने आगे कहा (अक्टूबर 2021) कि एक अन्य मौजूदा पुराने पुल का उपयोग किया जा रहा था एवं संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था (अप्रैल 2022)।

कार्यपालक अभियंता के उत्तर अस्वीकार्य थे क्योंकि भूमि की उपलब्धता कार्य प्रारंभ करने से पहले सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। साथ ही, पुराने पुल के माध्यम से पथ का उपयोग यह दर्शाया कि नए पुल के निर्माण की योजना अनुचित थी।

इस प्रकार, पहुँच पथ हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारंभ करने से एच.एल. पुल के निर्माण पर ₹3.74 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(ख) कार्यपालक अभियंता (ई.ई.), ग्रामीण कार्य विभाग (आर.डब्ल्यू.डी.), समस्तीपुर के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में पता चला (दिसंबर 2021) कि खानपुर ब्लॉक (समस्तीपुर) के अंतर्गत पुरानी बाघमती नदी पर एक उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल (एच.एल. पुल[55]) का निर्माण नाबार्ड योजना के तहत किया जाना था। निर्माण का उद्देश्य उत्तर में बल्हा और डगरुआ गांवों और दक्षिण में रजवारा और अन्य गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करना था। ग्रामीण कार्य विभाग (आर.डब्ल्यू.डी.), बिहार सरकार ने ₹779.91 लाख के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (सितंबर 2012)। मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना ने इस कार्य के लिए ₹9.35 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (दिसम्बर 2012)। इसके अलावा, आकलन के अनुसार, दक्षिण दिशा में 75 मीटर (ए1 साइड) और उत्तर में 120 मीटर (ए 2 साइड) की पहुँच पथों का निर्माण किया जाना था (पुल और पहुँच पथों के लिए कुल 51.25 डिसमिल भूमि की आवश्यकता थी)। फरवरी 2015 तक कार्य पूरा करने के लिए एक संवेदक[56] के साथ ₹8.66 करोड़[57] (पहुँच पथ के निर्माण के लिए ₹39.11 लाख सहित) का अनुबंध किया गया था (अगस्त 2013)।

---

[55] *आयाम (5 मीटर x 24.75 मीटर x 126.8 मीटर)*

[56] *विनय कुमार सिंह, कॉटी फैक्ट्री रोड, कंकडबाग*

[57] *₹ 8.75 करोड़ के परिमाण विपत्र से नीचे 1.10 प्रतिशत की दर पर*

पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण, संवेदक को ₹86.01 लाख के भुगतान (सितम्बर 2014) के साथ जून 2014 में कार्य रोक दिया गया था। संवेदक ने सूचित किया (नवंबर 2014) कि पुल के कई हिस्से निर्माण में निजी भूमि पर हैं और भूमि के मालिक अपनी भूमि पर पुल के निर्माण का विरोध कर रहे थे। भूमि/स्थल चयन समिति की अनुशंसा पर, कार्यपालक अभियंता ने समस्तीपुर के जिलाधिकारी को एच.एल. पुल के निर्माण हेतु 51.25 डिसमिल भूमि की आवश्यकता के बारे में सूचित किया (दिसम्बर 2016)। भूस्वामियों को मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण प्राप्त करने के बाद, कार्यपालक अभियंता ने विभाग से ₹18.04 लाख की राशि की मांग की (जून 2017)। सितंबर 2017 में राशि मिलने के बाद, पुनः काम शुरू हुआ (फरवरी 2018)। अगस्त 2019 तक किए गए कार्यों के लिये संवेदक को कुल ₹7.96 करोड़ (₹86.01 लाख के प्रथम भुगतान सहित) का भुगतान किया गया। पहुँच पथ का कोई कार्य नहीं किया गया था एवं पुल के अधिरचना के कुछ हिस्सों को अभी तक पूरा किया जाना था। शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए, 0.4799 एकड़ भूमि की और आवश्यकता का निर्धारण किया गया एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा विभाग से अतिरिक्त ₹19.93 लाख निधि का अनुरोध किया (फरवरी 2020)। संबंधित मंडल के सहायक अभियंता के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2021) ने भी पुष्टि की कि पहुँच पथों पर कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। पुल के उत्तर की ओर निजी भूमि का मामला था।

इस प्रकार, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, पहुँच पथों के निर्माण के बिना पुल के निर्माण पर ₹7.96 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। पहुँच पथ का काम शुरू होना अभी भी शेष है (दिसंबर 2021)।

इंगित किए जाने पर, कार्यपालक अभियंता ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2021) कि संरेखण में पड़ने वाले भूखण्ड का एक भाग अधिग्रहित नहीं किया गया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (नवंबर 2021 और फरवरी 2022), लेकिन उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अप्रैल 2022) ।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5.2 अलाभकारी व्यय

ग्राम जलापूर्ति योजना में बिना किसी योजना के पानी के मीटर लगाने से ₹1.99 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार (मई 2013) ग्रामीण जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव (ओ. एंड एम.) नियमावली के पैराग्राफ 14.4 में निर्धारित किया कि बहु ग्राम जलापूर्ति योजना के मामले में, जल संवेदक/ग्राम जल स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.)/संवेदक प्रत्येक ग्राम पंचायत (जी.पी.) को पानी का थोक मीटर रीडिंग के आधार पर हर महीने बिल देगी। राज्य में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (विभाग) द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति के लिए संबंधित ग्राम पंचायत वी.डब्ल्यू.एस.सी./संवेदक को जल प्रभार का भुगतान करेगी और बदले में उपभोक्ताओं से जल शुल्क वसूल करेगी।

कार्यपालक अभियंता (ई.ई.), लोक स्वास्थ्य (लो.स्वा.) प्रमंडल, बेगूसराय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (नवंबर 2021) कि चेरिया बरियारपुर में एक बहु ग्राम जलापूर्ति योजना

के लिए, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय ने एक संवेदक[58] के साथ ₹66.71 करोड़ की लागत से योजना के सभी सिस्टम घटकों के डिजाइन और निर्माण और पानी की बिलिंग और आपूर्ति सहित योजना के चालू होने के बाद पाँच साल के लिए परिचालन एंव रखरखाव (ओ. एंड एम.) के लिए एक समझौता किया (जुलाई 2014)।

डिजाइन और निर्माण कार्य जुलाई 2020 में पूरा किया गया और संवेदक को ₹43.87 करोड़ भुगतान किया गया (नवंबर 2021)। 9,480 घरों में कनेक्शन के लिए ₹6,400 प्रति घर की दर से अनुबंध किया गया, जिसमें प्रत्येक घर में ₹3,500 प्रति मीटर की दर से पानी का मीटर लगाने की लागत शामिल था। डिजाइन और निर्माण के लिए संवेदक को किए गए कुल ₹43.87 करोड़ के भुगतान में पानी के मीटरों की आपूर्ति के लिए ₹1.99 करोड़[59] का भुगतान (नवंबर 2021) शामिल है।

अनुबंध के अनुसार, ग्राम पंचायत को संवेदक द्वारा उत्पन्न बिल के अनुसार उपभोक्ता शुल्क एकत्र करना था। विपत्र प्रत्येक घर में लगाए गए पानी के मीटर के आधार पर ग्राम पंचायत या बिहार सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार उत्पन्न करने थे। तदनुसार, प्रत्येक घरेलू स्तर पर घरेलू पानी के मीटर लगाए जाने की आवश्यकता थी।

आगे यह पाया गया कि विभाग के पास घरेलू पानी के मीटर का कोई उपयोग नहीं था क्योंकि मंडल में इस योजना या साथ–साथ निष्पादित किसी अन्य योजना में उपयोगकर्ता शुल्क की गणना के लिए इनके पास कोई योजना उपलब्ध नहीं थी विभाग ने जल आपूर्ति योजना से घरेलू कनेक्शन वाले सभी घरों से उपभोक्ता द्वारा खपत किए गए पानी की मात्रा की परवाह किए बिना वसूल किये जाने वाले मासिक प्रभार के रूप में ₹30.00 निर्धारित किया (जून 2021)। इससे पानी के मीटरों की खरीद पर ₹1.99 करोड़ के मूल्य का व्यय निष्फल हो गया।

इंगित किये जाने पर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय ने स्वीकार किया (नवंबर 2021) कि प्रारंभ में जल मीटर के आधार पर पानी की लागत वसूल करने का प्रावधान था, लेकिन विभाग द्वारा इसे लागू नहीं किया गया। जवाब से भी निष्क्रिय जल मीटर की स्थापना के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन का समर्थन हुआ।

मामला सरकार को सूचित किया गया (फरवरी 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

सामाजिक कल्याण विभाग

5.3 अस्वीकार्य भुगतान

दिशा–निर्देशों का उल्लंघन कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा अपात्र लाभार्थियों को नकद प्रोत्साहन के रूप में ₹45.43 लाख का भुगतान किया गया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.), एक केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित योजना (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार) गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन के रूप में मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई थी (जनवरी 2017) जिन्होंने पहले बच्चे के लिए इस योजना की शुरुआत या उसके बाद गर्भ धारण किया था। यह योजना

[58] *मेसर्स गैनन डंकरले एण्ड कंपनी लिमिटेड*

[59] *भुगतान कुल लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित किया गया– ₹3,500 X 9,480 X 60 % = ₹1.99 करोड़*

महिलाओं को नकद प्रोत्साहन के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए पहले बच्चे के प्रसव से पहले/बाद में पर्याप्त आराम प्रदान करने की सुविधा देती है। प्रति लाभार्थी ₹5,000 का कुल नकद प्रोत्साहन सीधे लाभार्थी के खाते में तीन किस्तों[60] में अंतरित किया जाना था।

तीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत संचालित आठ[61] बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सी.डी.पी.ओ.) के लाभार्थियों को पी.एम.एम.वी.वाई. के तहत भुगतान से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जाँच (अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी.एच.सी.)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी.एच.सी.) के सम्बंधित प्रसव–कक्ष पंजियों के अभिलेखों के साथ उनके क्रॉस–सत्यापन से प्रकट हुआ कि वर्ष 2017 से अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान दूसरी, तीसरी या उससे अधिक भी जीवित बच्चे की माताओं को भी गर्भधारण करने के पश्चात योजना के नकद प्रोत्साहन का लाभ दिया गया था। प्रावधान का उल्लंघन कर 1,006 अयोग्य लाभार्थियों को ₹45.43 लाख के कुल अस्वीकार्य भुगतान का विवरण निम्न है:–

अस्वीकार्य भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	जिला	सी.डी.पी.ओ.	अस्वीकार्य नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	(₹ राशि में)
1	मधुबनी	हरलाखी	148	7,16,000
2		लदनिया	132	6,32,000
3		बेनीपट्टी	37	99,000
4		पंडौल	22	88,000
5	मुजफ्फरपुर	काँटी	38	1,20,000
6	औरंगाबाद	हंसपुरा	323	15,18,000
7		रफीगंज	258	12,07,000
8		ओबरा	48	1,63,000
कुल			**1,006**	**45,43,000**

इस प्रकार, संबंधित सी.डी.पी.ओ. द्वारा प्रावधान की उपेक्षा के परिणामस्वरूप योजना के इच्छित उद्देश्य से विचलन सहित अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022) और जवाब अभी तक प्रतीक्षित है।

5.4 निष्क्रिय व्यय

आवश्यक मानव बल की कमी के कारण ₹6.26 करोड़ मूल्य के *आधार* नामांकन किट का विभाग द्वारा उपयोग नहीं किए जा सकने के परिणामस्वरूप किट का अप्रयुक्त पड़ा रहना।

मार्च 2018 तक सभी डी.बी.टी. योजनाओं के लाभार्थियों के *आधार* सीडिंग तथा आँकड़ा सत्यापन पूरा करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम.डब्ल्यू.

[60] *₹1000/– आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण कराने पर, ₹2000/– गर्भावस्था के छह माह बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जाँच प्राप्त करने पर और ₹2000/– बच्चे के जन्म के पंजीकरण के बाद तथा बच्चे को बी.सी.जी., ओ.पी.वी., डी.पी.टी. और हेपेटाइटिस–बी अथवा इसके समकक्ष/विकल्प का पहला चक्र प्राप्त होने पर।*

[61] *औरंगाबाद जिला–हंसपुरा, रफीगंज और ओबरा मधुबनी जिला– बेनीपट्टी, हरलक्खी, लदानियां और पंडौल मुजफ्फरपुर जिला– कांटी*

सी.डी.), भारत सरकार (भा.स.) ने बाल विकास परियोजना कार्यालयों (सी.डी.पी.ओ.) में *आधार* नामांकन सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2017)। यह निर्णय बच्चों के निरंतर एवं निर्बाध नामांकन को प्रोत्साहन देने हेतु लिया गया था। आगे, एम.डब्ल्यू.सी.डी. ने 1,632 *आधार* नामांकन किटों[62] की खरीद के लिए ₹24.48 करोड़[63] का सहायता अनुदान स्वीकृत किया (दिसंबर 2017) और केंद्र की हिस्सेदारी की राशि के रूप में ₹14.69 करोड़ जारी किया (दिसंबर 2017)। इस स्वीकृति आदेश के दो वर्ष पश्चात, निदेशालय, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.), समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार ने ₹6.65 करोड़ आवंटित किया (अगस्त 2019) और सिर्फ 544 किट की खरीद के लिए ₹6.27 करोड़ जारी किया (दिसंबर 2019)।

निदेशालय, आई.सी.डी.एस. के अभिलेखों की नमूना–जाँच (जुलाई तथा अगस्त 2021) से पता चला कि जी.ई.एम. पोर्टल पर निदेशालय द्वारा 544 किटों की खरीद एवं अधिष्ठापन के लिए एक निविदा मंगाई गई थी (मई 2019) जिसके विरुद्ध चयनित संवेदक[64] ने 544 किटों की आपूर्ति की (दिसंबर 2019 से मार्च 2020) तथा संवेदक को ₹6.26 करोड़ का भुगतान किया गया (जून 2020)। जाँच में आगे पता चला कि किट की आपूर्ति के लगभग दो साल बीत जाने के बाद भी, किसी भी सी.डी.पी.ओ. में *आधार* नामांकन कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि इसके संचालन के लिए आवश्यक मानव बल उपलब्ध नहीं थे और सी.डी.पी.ओ. में किट अप्रयुक्त रहे।

आगे, तीन जिलों के नमूना–जाँचित 18 सी.डी.पी.ओ.[65] से किट के उपयोग के संबंध में सूचना एकत्र की गई (अक्टूबर–दिसंबर 2021) जिससे पता चला कि आवश्यक मानव बल की अनुपलब्धता के कारण संपूर्ण किट अप्रयुक्त पड़ी रही (सील पैक अवस्था में रखी हुई थी जिसकी वारंटी अवधि तीन साल अर्थात् मार्च 2023 तक थी)।

सी.डी.पी.ओ. कार्यालयों में इस सुविधा के प्रारंभ न होने के कारण राज्य में 0–5 वर्ष के आयु वर्ग का नामांकन (9.91 *प्रतिशत* बाद) पूरी तरह से रुका हुआ था जैसा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा सूचित किया गया (जनवरी 2021) कि इस प्रकार, मार्च 2018 की लक्षित तिथि के विरूद्ध सी.डी.पी.ओ. में स्थायी *आधार* नामांकन सुविधा लेखापरीक्षा की तिथि (दिसंबर 2021) तक शुरू भी नहीं हो सकी, यद्यपि दिसंबर 2017 में धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी।

जवाब में, निदेशक, आई.सी.डी.एस. ने कहा (सितंबर 2021) कि महिला पर्यवेक्षकों को यू.आई.डी.ए.आई. के माध्यम से किट संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया था और वर्तमान में, किट का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा रहा था। पुनः, निदेशक, आई.सी.डी.एस. ने अपने अनुवर्ती जवाब में कहा (फरवरी 2022) कि वर्तमान में कुछ परियोजनाओं ने *आधार* नामांकन शुरू कर दिया था तथा नामांकन की इसकी वर्तमान स्थिति 9.91 *प्रतिशत* थी।

---

[62] *₹1.50 लाख प्रति किट की दर से 544 सीडीपीओ के लिए प्रत्येक के तीन सेट*

[63] *केंद्रीय हिस्साः ₹14.69 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹9.79 करोड़*

[64] *मेसर्स उर्वशी कंप्यूटर, दिल्ली*

[65] *(i) मुजफ्फरपुरः औराई, बांद्रा, कांटी, कटरा, कुधनी और पारू, (ii) मधुबनी–बेनीपट्टी, हरलाखी, झांझरपुर, लदनिया, पंडौल और माधवपुर (iii) औरंगाबाद– देव, हंसपुरा, गोह, नवीनगर, ओबरा और रफीगंज*

निदेशक, आई.सी.डी.एस. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महिला पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के बाद भी किट के उपयोग से बच्चों का *आधार* नामांकन शुरू नहीं किया गया था जैसा तीन जिलों के 18 नमूना–जाँचित सी.डी.पी.ओ. में देखा गया। आगे, जवाब स्वयं शून्य से पाँच आयु वर्ग के गैर–नामांकन के सम्बन्ध में तथ्य की पुष्टि करता है क्योंकि 9.91 *प्रतिशत* की उपलब्धि पहले ही जनवरी 2021 में यू.आई.डी.ए.आई. के पत्र में जिक्र किया गया था।

यह विषय सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2022) लेकिन उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अप्रैल 2022)।

पटना **(रामावतार शर्मा)**
दिनांकः 21 अक्टूबर 2022 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांकः 27 अक्टूबर 2022 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**